माननीय आर. पी. सेठी, जी. एस. सिंघवी और एच. एस. बेदी के समक्ष

टका वेट,-अपीलार्थी।

बनाम

हरियाणा राज्य,-उत्तरदाता।

1998 की नियमित पहली अपील संख्या **148**

5 जुलाई, **1994**

सीमा अधिनियम, **1968**-धारा *5*-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1885*-धारा *28-(ए)*-सीमा-भूमि मालिक जिसकी भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित की गई है, इस आधार पर अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी की माफी की मांग नहीं कर सकता है कि उसी अधिग्रहण से एक और अपील अदालत में लंबित है-देरी की माफी के लिए एक आवेदन को अदालत द्वारा इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसी अधिसूचना से उत्पन्न होने वाली एक और अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया गया है।

अभिनिर्णित किया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा **28**-ए का उद्देश्य और उद्देश्य न्यायाधीश और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है और मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करने या संरक्षित करने के लिए एक साधन बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह अधिनियम का स्थापित सिद्धांत भी है कि अपील उस क़ानून का निर्माण है जिसका उपयोग अपील का उपचार प्रदान करने वाले क़ानून में निहित प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किया जा सकता है।अपीलीय प्राधिकारी द्वारा राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटने से पहले सीमा की शर्त सहित अपील दायर करने के लिए सभी पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

(पैरा **5)**

अभिनिर्णित किया गया कि धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण एक ऐसा कारण होना चाहिए जो धारा की सहायता का आह्वान करने वाले पक्ष के नियंत्रण से बाहर हो और यह परीक्षण लागू किया जाना यह देखने के लिए होगा कि क्या यह एक प्रामाणिक कारण था, क्योंकि कुछ भी प्रामाणिक रूप से नहीं माना जा सकता है जो उचित सावधानी और ध्यान के साथ नहीं किया जाता है।विलंब की क्षमा के लिए न्यायालय की अधिकार क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति से न्यायालय को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि वह किसी दुस्साहस या असमर्थता या अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों या ऐसे पर्याप्त कारण के कारण समय पर अपनी अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ था जो उसे निर्धारित सीमा के भीतर अपील दायर करने से रोकता था।सटीक रूप से, पर्याप्त कारण शब्द का अर्थ और इसका दायरा किसी भी कठोर परिभाषा द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

(पैरा **6)**

अभिनिर्णित किया गया कि जिन भूमि मालिकों की भूमि एक विशेष अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित की गई थी, वे एकमात्र आधार पर अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी की माफी की मांग नहीं कर सकते हैं कि

यही अधिग्रहण इस न्यायालय में लंबित है।इसी तरह देरी की माफी के लिए आवेदन को भी केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसी अधिसूचना से एक और अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया गया था।देरी को माफ करने के लिए टी. एल. एच. ई. आवेदन पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए,हालांकि उसी अधिसूचना के संबंध में एक और अपील को खारिज करने पर इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय किसी परिस्थिति में ध्यान दे जा सकता है।रघबीर सिंह के मामले (ऊपर) में खण्ड पीठ के फैसले में जहां तक यह कहा गया है कि देरी को माफ करने की आवश्यकता है, जब उसी अधिसूचना से उत्पन्न होने वाली अन्य अपीलें इस न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित थीं, तो इसे एक अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है।उक्त निर्णय को उस हद तक खारिज कर दिया गया माना जाएगा।

(पैरा **12)**

काघबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य *1990* (2) करंट लॉ जर्नल 97।

खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन ने कहा।

एच. एल. सिब्बल, ए. जी. हरियाणा जगदेव शर्मा के साथ, एडिशनल।ए. जी. हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी

1. क्या कोई भूमि स्वामी जिसकी भूमि किसी विशेष अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित की गई है, इस अल्प आधार पर अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी की माफी की मांग कर सकता है कि उसी अधिग्रहण से एक और अपील इस न्यायालय में लंबित है या क्या ऐसे भूमि मालिक के आवेदन को न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि उसी अधिसूचना से बाहर एक और अपील का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया गया है?आधिकारिक घोषणा के लिए हमें संदर्भित कानून का प्रश्न है।
2. 1993 की नियमित प्रथम अपील संख्या 1148 और 1993 की सी. एम. संख्या 207/सी. आई. में देखे गए मामलों के तथ्य हैं कि हरयाणा राज्य—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, *1894* की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से (संक्षेप में 'अधिनियम ') ने शहरी संपदा की स्थापना के लिए उसी के विकास और उपयोग के उद्देश्य से जिला कुरुक्षेत्र के दर्रा कलां की राजस्व संपदा में स्थित भूमि का अधिग्रहण किया।कुछ दावेदारों द्वारा दायर 1991 की नियमित प्रथम अपील संख्या 44.1 इस न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित है।ए. ओ. पी. एल. ए. टी. ने तत्काल मामले की अपील में 11 साल की देरी को माफ करने की मांग की।रघबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य *(1)* मामले में इस न्यायालय के निर्णय में, जिसमें उसी अधिसूचना से उत्पन्न अन्य अपीलों विचाराधीनता होने के आधार पर अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले में उठाई गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि उठाए गए कानून के प्रश्न से बड़ी संख्या में मामले प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए इसे वृहद पीठ द्वारा अधिकृत रूप से सुनाया जाना चाहिए।

(3) अपीलार्थी-आवेदन के लिए उपस्थित तब-ज्ञात परामर्श में यह तर्क दिया गया है कि रघबीर सिंह के मामले (ऊपर) में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की प्रशंसा करने के आधार पर पहला कानून बनाया गया था और इसमें किसी संशोधन या पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।उन्होंने विशेष रूप से अपने तर्क के समर्थन में अधिनियम की धारा 28-ए के प्रावधानों पर भरोसा किया है।अधिनियम की धारा 28 ए में प्रावधान हैः—

> "28-अ. न्यायालय के निर्णय के आधार पर मुआवजे की राशि का पुनर्निर्धारण।—(1) जहां इस आई. एस. पी. आर. टी. के तहत किसी अधिनिर्णय में,आपका न्यायालय आवेदक को धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से अधिक मुआवजे की किसी भी राशि की अनुमति देता है. धारा 4, उप-धारा (1) के तहत उसी अधिसूचना के तहत अन्य सभी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति और जो कलेक्टर के पुरस्कार से व्यथित भी हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।इसके बावजूद कि उन्होंने अदालत के निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर धारा 18. एच. वी. के तहत कलेक्टर को लिखित आवेदन नहीं किया था, यह आवश्यक है कि उन्हें देय मुआवजे की राशि अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि के आधार पर फिर से निर्धारित की जा सकती हैः—
>
> बशर्ते कि तीन महीने की अवधि की गणना करने में जिसके भीतर इस उप-धारा के तहत कलेक्टर को एक आवेदन किया जाएगा, वह डी-डब्ल्यू जिस पर पुरस्कार घोषित किया गया था और पुरस्कार का एक शंकु प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को बाहर रखा जाएगा।

(2) कलेक्टर, उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, सभी इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस देने और उन्हें सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद एक आदेश का संचालन करेगा और आवेदकों के लिए राशि या मुआवजे का दृष्टान्त निर्धारित करने के लिए एक पुरस्कार देगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसने उप-धारा **(2)** के तहत पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि मामला कलेक्टर द्वारा न्यायालय के निर्धारण के लिए भेजा जाए और धारा **18** से **28** के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसे संदर्भ पर लागू होंगे जो वे धारा **18** के तहत किसी संदर्भ पर लागू होते हैं।" **(4)** धारा के केवल अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां पीड़ित व्यक्ति ने अधिनियम की धारा **18** के तहत न्यायालय को निर्देश देने के लिए आवेदन नहीं किया था। अनुसूचित जाति सहकारी भूमि स्वामित्व सोसायटी लिमिटेड भटिंडा बनाम भारत संघ और अन्य **(2)** में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः—

> "धारा **28**-ए की उप-धारा **(1)** को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यह केवल उन दावेदारों पर लागू होता है जो अधिनियम की धारा **18** के तहत संदर्भ लेने में विफल रहे थे। अधिनियम की धारा **18** के तहत न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे के आधार पर कलेक्टर द्वारा पुनर्निर्धारण किया जाना है और उस ओर से पुरस्कार की तारीख से **30** दिनों के भीतर कलेक्टर को एक आवेदन दिया जाना है।इस प्रकार केवल वे दावेदार जो अधिनियम की धारा **18** के तहत एक संदर्भ के लिए आवेदन करने में विफल रहे थे, उन्हें पुनः निर्धारण के लिए कलेक्टर को आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, न कि उन सभी याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने न केवल धारा **18** के तहत एक संदर्भ की मांग की थी, बल्कि संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए पुरस्कार के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील भी दायर की थी।इसलिए नई जोड़ी गई धारा **28**-ए. स्पष्ट रूप से उस मामले पर लागू नहीं होती है जहां दावेदार ने धारा **18** के तहत संदर्भ मांगा है और प्राप्त किया है और यहां तक कि उच्च न्यायालय में अपील भी की है।यह दृष्टिकोण, जिसे हम धारा **28**-ए के एक सादे पठन पर लेते हैं, मेवा राम (मृतक) में उनके एल. आर. एस. और अन्य बनाम हरियाणा राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गुड़गांव **(1988) 3** एस. सी. आर. **660** द्वारा से इस न्यायालय के फैसले से समर्थन पाता है।"

(5) तत्काल मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि आवेदक ने वास्तव में अपने द्वारा उठाए गए प्रश्न के निर्धारण के लिए न्यायालय को एक संदर्भ प्राप्त करके अधिनियम की धारा **18** के तहत उपचार का लाभ उठाया था।अधिनियम की धारा **28**-ए का उद्देश्य और उद्देश्य न्यायाधीश और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है और इसे मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करने या संरक्षित करने के लिए एक साधन बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह अधिनियम का स्थापित सिद्धांत भी है कि अपील उस क़ानून का निर्माण है जिसका अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार सख्ती से लाभ उठाया जा सकता है।

(2) 1990(4) जे. टी. सुप्रीम कोर्ट **1.**अपील का उपाय।अपीलीय प्राधिकारी द्वारा राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटने से पहले सीमा की शर्त सहित अपील दायर करने की सभी पूर्व अपेक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए।

1. सीमा अधिनियम के तहत संहिताबद्ध सीमा के बारे में प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उक्त अधिनियम एक अक्षम करने वाला कार्य है जिसे धाराओं में उपयोग की जाने वाली भाषा के प्राकृतिक अर्थ से परे नहीं बढ़ाया जा सकता है।अधिनियम के स्व-निहित होने और संपूर्ण संहिता होने के कारण इसका उपयोग किसी से भी छीनने के लिए करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसका दावा करने वालों को लाभ देने के दृष्टिकोण को अपनाते हुए सख्ती से अर्थ लगाया जाना आवश्यक है।उच्चतम न्यायालय ने बिनोद बिहारी सिंह बनाम भारत संघ **(3)** मामले में निर्णय दिया हैः

   > "परिसीमा अधिनियम किसी न्यायालय में वाद हेतुक कारण पर विराम और रोक लगाने का एक कानून है, जो सीमा अधिनियम में निहित समय के अवांछनीय अंतराल के कारण अन्यथा वैध और वैध है, जिसे न्यायशास्त्र और सार्वजनिक नीति के एक अच्छी तरह से स्वीकृत सिद्धांत पर बनाया गया है।

(6) परिसीमन के नियम सार्वजनिक नीति पर विचार करने पर आधारित होते हैं और परिसीमन से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या उस दृष्टिकोण के साथ की जानी चाहिए जो सार्वजनिक नीति के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है न कि अन्यथा।सीमा कानून के प्रावधानों का उद्देश्य एक ऐसा अधिकार देना नहीं है जहां कोई अधिकार नहीं है, बल्कि निर्दिष्ट अवधि के बाद एक बार लागू करना है जो एक वादकारी को सीमा की अवधि के भीतर अपने मौजूदा अधिकार को लागू करने के लिए अधिकृत करता है (ए. आई. आर., **1968** इलाहाबाद **246** देखें)।सीमा कानून का उद्देश्य एक वादकारी को अदालत में उपचार की मांग करने में मेहनती होने के लिए मजबूर

करना और पुराने दावों पर रोक लगाना है।समाज के हित के लिए आवश्यक है कि पक्ष को उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मुकदमेबाजी के लिए रखा जाना चाहिए।अधिनियम सतर्क लोगों की सहायता करता है न कि उन लोगों की जो अपने अधिकारों पर सोते हैं, अधिनियम की इस स्थिति को भी स्वीकार किया जाता है कि सीमा का अधिनियम केवल एक उपाय को रोकता है और अधिनियम के अनुसार एल. आई. एस. पर निर्णय लेने के न्यायालयों के अधिकार को नहीं छीनता है और जब तक कि किसी विशेष क़ानून के तहत अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक पक्षों के अधिकारों को पुनर्जीवित नहीं करता है।सीमा अधिनियम की धारा **5** के सिद्धांत **1859** की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **331** और**337** के अनुरूप हैं और इन्हें पहली बार **1871** के सीमा अधिनियम में पेश किया गया था और उसके बाद **1877** के सीमा अधिनियम के संशोधनों के साथ फिर से दोहराया गया था।सीमा अधिनियम। **1908** ने धारा के सिद्धांत को अपील करने की अनुमति के लिए आवेदनों और अन्य आवेदनों के लिए विस्तारित किया, जिन पर वह अधिनियम लागू कर सकता था या उस समय लागू किसी विशेष अधिनियम के तहत।धारा को फिर से संशोधित किया गया-सवारी ~ ~ **73TaXr**। **1993** एस. सी. **1245.**

अधिनियम सं। **1922** का **X** और विभिन्न न्यायालयों द्वारा किए गए लंबे न्यायिक अनुभव और घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, धारा **5** को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है-**1963** के सीमा अधिनियम संख्या **36** के प्रावधानों के अनुसार।सीमा अधिनियम की धारा **5** के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए एक दावेदार यह दिखाने के लिए बाध्य है कि उसके पास उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर या अपील या आवेदन दायर करने को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य क़ानून के तहत अपील को प्राथमिकता नहीं देने या अपील करने के लिए पर्याप्त कारण था।भले ही आम तौर पर पर्याप्त कारणों के आधारों को विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है, फिर भी कोई भी आधार अपवाद के बिना आम तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है।पर्याप्त कारण के अस्तित्व के प्रश्न का निर्णय प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है।न्यायालयों ने आम तौर पर पर्याप्त कारण या पर्याप्त कारण के अर्थ को सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल पाया है।इस तरह का प्रयास करना न्यायिक विवेक के साथ एक कठोर परिभाषा के रूप में स्पष्ट हो जाएगा, जिसे विधानमंडल ने सभी कारणों से अनिर्धारित और निरंकुश छोड़ दिया है।धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण एक ऐसा कारण होना चाहिए जो अनुभाग की सहायता का आह्वान करने वाले पक्ष के नियंत्रण से बाहर हो और यह परीक्षण लागू किया जाना यह देखना होगा कि क्या यह एक प्रामाणिक कारण था, क्योंकि कुछ भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है जो उचित सावधानी और ध्यान के साथ नहीं किया जाता है।विलंब की क्षमा के लिए न्यायालय की अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले व्यक्ति से न्यायालय को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि वह किसी दुस्साहस या असमर्थता या अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों या ऐसे पर्याप्त कारण के कारण समय पर अपनी अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ था जो उसे निर्धारित सीमा के भीतर अपील दायर करने से रोकता था।सटीक रूप से, पर्याप्त कारण शब्द का अर्थ और इसके दायरे को किसी भी कठोर परिभाषा में स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

(7) कानून की यह मान्यता है कि अदालतें केवल व्याख्या करती हैं और कानून नहीं बनाती हैं।अधिनियम की धारा **28**-ए विधान का एक उपाय है जबकि धारा **5** की व्याख्या केवल एक न्यायिक अधिनियम है जिसे कानूनों को लागू करने या विधान बनाने की सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।अजीत सिंह बनाम गुजरात राज्य ***(4)*** में उच्चतम न्यायालय।यह अभिनिर्णित किया गया कि एक एन. ए. आर. टी. वी. एन. आई. एल. को समाप्त करने की सीमा के अंतिम दिन तक प्रतीक्षा करने का हकदार है, लेकिन जब यह सीमा को समाप्त करने की अनुमति देता है और पहले अपील दायर नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण देता है तो एक डी. यू. टी. वी. को ऐसे एन. ए. आर. टी. वी. पर डाला जाता है ताकि यह साबित करने के लिए पर्याप्त कारण स्थापित किया जा सके कि कुछ घटनाओं या सीमा समाप्त होने से पहले उत्पन्न परिस्थितियों के कारण, समय के भीतर अपील दायर करना संभव नहीं था।इसके बाद उत्पन्न होने वाली कोई घटना या परिस्थिति नहीं

1. ए. आई. आर. **1981** एस. सी. सीमा की समाप्ति के बाद ऐसी घटनाएँ या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो अपील को समाप्त करने में और देरी कर सकती हैं, लेकिन यह कि अपील को छिपाये बिना सीमा को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी, इस अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाले कारण का पता लगाने की आवश्यकता है!नकल करना।

(8) जी. रामेयोआ मेंःविशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बैंगलोर *(5),* सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपील दायर करने में देरी के मामले में न्यायालयों के विवेकाधिकार के क्षेत्र की रूपरेखा इस न्यायालय की कई घोषणाओं में निर्धारित की गई है जैसे कि राम लाई बनाम रीवा कोलफील्ड लिमिटेड **(6),** शकुंतला देवी बनाम कुंतलकुमारी *(7),* कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।निर्मला देवी *(8),* माता दिन बनाम ए. नारायणम **(9),** कलेक्टर भूमि अधिग्रहण बनाम कटीजी **(10)**।यह भी माना गया कि पार्टी को उसके वकील की सभी गलतियों से बचाने का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है।प्रत्येक मामले पर उसके अपने विशेष तथ्यों की विशिष्टताओं पर विचार किया जाना आवश्यक है।हालाँकि, न्यायाधीशालयों को पर्याप्त न्यायाधीश को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा **5** के प्रावधानों को उदार निर्माण देने की आवश्यकता थी और देरी को माफ किया जा सकता है जहां देरी की माफी की मांग करने वाले पक्ष के लिए कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी आरोप योग्य नहीं है।

(9) अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में देवी डावर मंदिर बनाम भारत संघ **(11)** में इस न्यायालय के खण्ड पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया है।उस मामले में, खण्ड पीठ श्री शेर चंद की मृत्यु के तथ्य पर विचार किया और अधिनियम की धारा **18** के तहत एक आवेदन दायर किया था, लेकिन सीमा अवधि के भीतर अदालत में अपील दायर नहीं कर सकी क्योंकि **3** जून, **1988** को बाबा खेम सिंह की नए मोहतम के रूप में नियुक्ति तक मंदिर का कोई मोहतम नहीं था।नए मोहतमिम के रूप में अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद बाबा खेम सिंह ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भटिंडा द्वारा दिए गए मुआवजे के भुगतान के लिए मंदिर के बहल पर भूमि अधिग्रहण अदालत का रुख किया, जिसकी अनुमति दी गई थी।उन्होंने फैसले की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया और एक अपील को प्राथमिकता दी

1. ए. आई. आर. **1988** एस. सी. **897.**
1. **1962 (2)** एस. सी. आर. **762 (**ए. आई. आर. **1962** एस. सी. **361)**
1. **(1969) 1** एस. सी. आर. **1006 (**ए. आई. आर. **1969** एस. सी. **575)**
2. **(1979) 3** एस. सी. आर. **694 (**ए. आई. आर. **1979** एस. सी. **1666**वी.
3. **(1970) 3** एस. सी. आर. **90 (**ए.एल. आर. **1970** एस. सी. **1953)**।
1. **(1987) 2** एस. सी. सी. **107 (**ए. आई. आर. **1987** एस. सी. **1353)**

1994 पी. एल. जे. **16**बिना किसी देरी के।तथ्यों और परिस्थितियों को आसानी से देखते हुए, यू. एस. कोर्ट ने उस सहजता में कहा, "हमारी राय है कि अपील करने में देरी को माफ करना न्यायाधीशसंगत और समान है और न्यायाधीश का उद्देश्य भी है।न तो कोई सामान्य प्रस्ताव कम था और न ही रघबीर बी. एम. जी. का मामला *(*ऊपर*;* पुनः प्रस्तुत किया गया था या उस पर भरोसा किया गया था।

(10) रघबीर सिंह के मामले (ऊपर) में की गई टिप्पणियों का प्रभाव इस प्रकार हैः—

> "'पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद हमारी राय मानी जाती है कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली पहली अपील को लागू करने में देरी को माफ कर दिया जाना चाहिए था; विशेष रूप से जब उसी अधिसूचना से उत्पन्न होने वाली अन्य अपीलें पहले से ही इस न्यायालय में न्यायिक निर्णय के लिए लंबित थीं।इतना ही नहीं, **24** नवंबर, **1988** को इस अधिसूचना से उत्पन्न होने वाली बाद की नियमित पहली अपील संख्या **818** या **1986** में निर्णय लिया गया था, इस न्यायालय द्वारा मुआवजे में वृद्धि की गई थी।अपीलकर्ता बढ़े हुए मुआवजे का भी हकदार हो सकता है।"

(11) अतः यह स्पष्ट है कि विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष अभिनिर्णित सीमा के संबंध में सामान्य नियम उस मामले में भी निर्धारित नहीं किया गया था, जहां **1988** की दीवानी याचिका सं **1588** में **16** अप्रैल, **1985** के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा थाः

> "हमारा विचार है कि अपील दायर करने में देरी को वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए माफ किया जाना चाहिए था कि यह उसी अधिसूचना से उत्पन्न

होने वाली भूमि के आसपास के टुकड़े के अधिग्रहण का मामला है।इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं, देरी को माफ करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हैं जो देरी को माफ करने से इनकार करता है, और देरी को माफ करने के बाद हमने मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया ताकि उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ सुनवाई कर सके और प्रासंगिक कारक को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा कर सके।

(12) इसलिए, हमारी राय है कि जिन भूमि मालिकों की भूमि एक विशेष अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित की गई थी, वे केवल इस आधार पर अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी की माफी की मांग नहीं कर सकते हैं कि उसी अधिग्रहण से एक और अपील न्यायालय में लंबित है।इसी तरह विलंब की माफी के लिए आवेदन को भी केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसी से एक और अपील की जाए।उच्च न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर अधिसूचना का निर्णय लिया गया था।विलंब की क्षमा के लिए आवेदन पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए, हालांकि उसी अधिसूचना के संबंध में एक और अपील को खारिज करना एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिस पर इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान दें जाना चाहिए।रघबीर सिंह के मामले में खण्ड पीठ का फैसला इस तरह से आसान (ऊपर) है।'एआर के रूप में यह अवलोकन करता है कि देरी को माफ करने के बराबर है जब उसी अधिसूचना से उत्पन्न होने वाली अन्य अपीलें इस न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित थीं, तो इसे एक अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है।उक्त निर्णय को उस हद तक अति-शासित माना जाएगा।

(13) तत्काल मामले में, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने रघबीर सिंह के मामले (उपरोक्त) के फैसले और धन की अनुपलब्धता के आधार पर देरी को माफ करने की मांग की थी।हालाँकि, **9** नवंबर, **1993** को प्रारंभिक सुनवाई के समय अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया और न्यायालय ने नोट किया कि, 'धन की अपर्याप्तता का दूसरा आधार दलीलों के दौरान सेवा में नहीं लगाया जाता है।" अन्यथा भी न्यायालय शुल्क और अन्य खर्चों के लिए पर्याप्त धन की अनुपलब्धता के बारे में याचिका बिना किसी आधार के थी क्योंकि यह स्थापित किया गया था कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र के निर्णय के बाद, **3** अक्टूबर, **1981** को अधिनियम की धारा **18** के तहत संदर्भ का निर्णय लेने के बाद ब्याज आदि के साथ बढ़े हुए मुआवजे को **24**अक्टूबर, **1983** को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र के न्यायालय में जमा किया गया था।यदि अपीलकर्ता सतर्क होती तो वह न्यायालय में जमा किए गए मुआवजे की प्राप्ति के बाद अपील दायर कर सकती थी।यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि उसने प्रतिवादी द्वारा जमा किया गया मुआवजा प्राप्त नहीं किया था, इस तथ्य के बावजूद कि उस पर यह साबित करने का कर्तव्य डाला गया था कि उसके पास अपील दायर करने के उद्देश्य से आवश्यक पर्याप्त धन नहीं था।इस मामले को गुण-दोष पर निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजने में कोई उपयोगी प्रभाव नहीं पड़ेगा।एपनेलेंट-एप्लिकेंट के पास ए. ओ. पी. एल. दाखिल करने में डेलाव को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है।नतीजतन, सिविल माइस।**1993** की सं. **207**/सी. आई. और **1993** की आर. एफ. ए. सं. **148** को खारिज कर दिया गया माना जाएगा।

(14) अन्य मामलों के तथ्यों के रूप में, अर्थात रायंदर पाल बनाम हरियाणा राज्य।विवान पाल बनाम हरियाणा राज्य।शाम सुंदर बनाम हरियाणा राज्य औरविष्णु प्रसाद बनाम हरियाणा राज्य और उठाए गए कानून के बिंदु समान हैं, सभी चार सिविल मिसो आवेदनों को खारिज कर दिया गया है और अपीलों को समय द्वारा बाधित किया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके औरकिसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय काअंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा